18/04/17 प्रथम पक्ष - भैरव प्रसाद, महावीर प्रसाद की हाजरी।

द्वितीय पक्ष - अनुपस्थित। बाद में उपस्थित हाजरी। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रथम पक्ष के दिनांक 28/03/17 के आवेदन पर rejoinder दाखिल किया।

Rejoinder के बिन्दु पर सुनवाई हेतु ~~24/05/17~~ प्रस्तुत। अन्य पक्ष बहस की मांग करते हैं। अन्य पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उक्त बिन्दु पर निर्णय हेतु 25/04/17 को रखें।

18/04/17

आदेश

प्रथम पक्ष की ओर से दिनांक 28/03/17 को उस न्यायालय में आवेदन देकर विवादित भूमि की चौहद्दी में संशोधन की मांग की है।

वाद की अर्थवाली मौजा कवियातपुर थाना - बड़ही, जिला - हजारीबाग के खाता नं० - 115, प्लाट नं० - 06, रकबा - 0.04 3/4 डी०

जिसकी चौहद्दी - उ०- निज, द०- GT Road, पू०- शंकर साव, एवं ~~दक्षिण~~ पश्चिम - यमुना साव के आधार पर आदेश की गयी है।

प्रथम पक्ष अपने वर्तमान आवेदन में उक्त खाता - प्लाट की ~~अतिरिक्त~~ चौहद्दी को गलत बता रहे हैं तथा साथ ही इस वाद में एक अन्य प्लाट ~~जिसका~~ - खाता नं०- 149, प्लॉट नं०- 14, रकबा - 0.01 एकड़ मध्ये 0.04 एकड़, को भी वाद की सुनवायी में शामिल करने का अनुरोध करते हैं।

द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि द० प्र० सं० की धारा - 144 के अन्तर्गत एक बार जब कार्यवाही आदेश हो जाती है तो इसमें संशोधन का कोई नियमन नहीं है।

मैं द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता से सहमत होते हुए विनिश्चित करता हूँ कि चूँकि वाद की कार्यवाही आदेश की जा चुकी है अतः इसके खाता - प्लाट एवं अथवा चौहद्दी में संशोधन किया जाना उचित नहीं है।

पुनः चूँकि स्वयं प्रथम पक्ष का मानना है कि जिस खाता - प्लाट सं० ~~[illegible]~~ 115/06 पर वाद की कार्यवाही आदेश की गयी है, उसकी चौहद्दी

(5)

सही नहीं है, अतः अन्य पक्षों को शान्ति बनाये रखने के निर्देश के साथ अस्पष्टता (Vagueness) के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त करता हूँ।

[signature] 18/04/17